

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(17)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13/10/2024

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री गोपाल लाल शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/29/1984) को जिला एवं सेशन न्यायालय, दौसा में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दौसा के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री दिनेश कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दौसा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

रू०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित जिला कलकटर।
- 9 संबंधित कोषाधिकारी।
- 10 संबंधित अभियोजक।
- 11 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।

13/10/2024

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(17)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/2024

आदेश

दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, दौसा में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री जितेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/383/2014) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, दौसा के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री सुनील कुमार सैनी, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, दौसा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ए०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलकटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

13/10/2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(17)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, दौसा	श्री आशिष शर्मा (आर/ 1690/ 2012)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दौसा
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01 बांदीकुई जिला दौसा	श्री राकेश कुमार विजय (आर/ 1674/ 2000)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01 बांदीकुई जिला दौसा
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, लालसोट जिला दौसा	श्री अशोक कुमार शर्मा (आर/ 2764/ 2006)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लालसोट जिला दौसा
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, महवा जिला दौसा	श्री रतन चन्द शर्मा (आर/ 40/ 1996)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, महवा जिला दौसा


निमांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री हुकुम सिंह अवाना	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दौसा
2	श्री राधाकिशन मीणा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01 बांदीकुई
3	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लालसोट जिला दौसा
4	श्री मुकेश रिंग	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, महवा जिला दौसा

आज्ञा से
13/10/2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलकटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


18/10/2014

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि